

न्यायालय : गौतम सिंह मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)
::: कार्य विभाजन/वितरण आदेश वर्ष 2024 :::

मैं, गौतम सिंह मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झाबुआ न्यायिक जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक एवं संशोधन पत्रकों को निरसित करते हुये यह नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, झाबुआ के अनुमोदन उपरांत दिनांक **02.01.2024** से प्रभावशील होकर, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

अनुक्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्य क्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा
1	2	3	4
1	गौतम सिंह मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ	3(अ) आरक्षी केंद्र— शहर कोतवाली झाबुआ, एवं आरक्षी केन्द्र यातायात झाबुआ, आरक्षी जी.आर.पी. मेघानगर एवं आबकारी वृत्त अ एवं ब झाबुआ	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में अंकित थाना क्षेत्रों से (अनुक्रमांक—4 के स्तंभ क्र. 04 की कंडिका 1 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन एवं आवेदन। 2. नगर पालिका अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण एवं अपीलें। 3. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली झाबुआ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत अभियोग एवं आवेदन पत्र के समस्त प्रकरण। 4. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली झाबुआ एवं आबकारी वृत्त अ व ब झाबुआ के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण।
		3(ब) संपूर्ण जिला — झाबुआ	5. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में अंकित संपूर्ण जिला झाबुआ के क्षेत्राधिकारांतर्गत में — 1. चलित न्यायालय। 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। 3. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से उद्भूत समस्त कार्यवाहियाँ। 4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक प्रकरण। 5. ऐसे समस्त अधिनियम/कार्यवाहियां, जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त हो। 6. धारा 306 द.प्र.सं. के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 7. संपूर्ण झाबुआ जिला क्षेत्राधिकारितांतर्गत के खारजी प्रतिवेदन।

			8. वे समस्त प्रकरण/कार्यवाहियों, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में नहीं है अथवा इस आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन प्रकरण/कार्यवाहियों के विचारण/सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया हो।
		3(स) आरक्षी केन्द्र झाबुआ, कालीदेवी रानापुर, कल्याणपुरा एवं आबकारी वृत्त अ व ब झाबुआ	7. स्तंभ क्रमांक 3(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र झाबुआ, रानापुर, कालीदेवी एवं कल्याणपुरा के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न होने वाले खनिज विभाग से संबंधित समस्त परिवाद/अभियोग पत्र।
		3(द) वन परिक्षेत्र झाबुआ	8. वन परिक्षेत्र झाबुआ के वनअधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य अन्य विधियों से संबंधित समस्त परिवाद एवं अभियोग पत्र।
2	श्री विजयपाल सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ	3(अ) आरक्षी केंद्र-कालीदेवी	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से (अनुक्रमांक-4 के स्तंभ क्र.4 की कंडिका 1 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) उत्पन्न समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन एवं आवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत अभियोग एवं आवेदन पत्र के समस्त प्रकरण। 3. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र कालीदेवी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण। 4. स्तंभ क्रमांक 3 (अ) में अंकित थाना क्षेत्रों में - न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 6. स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52-ए के अंतर्गत आवेदन का निराकरण करेंगे।
2-A	श्री विजयपाल सिंह चौहान, न्यायाधिकारी, ग्राम-न्यायालय, झाबुआ	3(अ) तहसील झाबुआ के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगर पालिका सीमा को छोड़कर)	6. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्रों में - 1. राजस्व तहसील, झाबुआ के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची-1 के भाग-1 एवं भाग-2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत द.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों से संबंध

			<p>में झाबुआ जिला न्यायालय के समस्त रिक्त न्यायालय के स्थाई वारंट व अन्य कार्यवाहिया एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण, अपीलीय न्यायालयों के आदेश, निर्णय, का निष्पादन एवं अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई वारंट एवं उनसे संबंधित समस्त कार्यवाहिया।</p> <p>4. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।</p>
3	सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ		1. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
4	श्रीमती पूनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ	3(अ) आरक्षी केंद्र— रानापुर एवं महिला थाना झाबुआ	<p>1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन एवं आवेदन।</p> <p>2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत अभियोग एवं आवेदन पत्र के समस्त प्रकरण।</p> <p>स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण।</p> <p>3. स्तंभ क्रमांक 3 (अ) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।</p> <p>4. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>5. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) झाबुआ जिला न्यायालय के समस्त रिक्त न्यायालय के स्थाई वारंट व अन्य कार्यवाहिया एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण, अपीलीय न्यायालयों के आदेश, निर्णय, का निष्पादन एवं अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई वारंट एवं उनसे संबंधित समस्त कार्यवाहिया।</p>
		3 (ब) आरक्षी केंद्र— शहर कोतवाली, रानापुर, कालीदेवी कल्याणपुरा, आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. मेघनगर	<p>1. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध –</p> <p>1. महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 354, 354(ए) म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366ए, 366बी, 375, 376, 376ए, 376डी, 493, 498, 498-ए एवं 509 के प्रकरण एवं उनसे संबंधित आवेदन।</p> <p>2. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. धारा 125 से 128 द.प्र.स. एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले</p>

			<p>प्रकरण)।</p> <p>4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम व ऐसे अन्य समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जा सकते हैं, संबद्ध समस्त आपराधिक प्रकरणों के अभियोग पत्र, आवेदन पत्र, परिवाद पत्र प्रतिवेदन।</p> <p>5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।</p> <p>6. अनुक्रमांक-4 स्तंभ क्र. 4 की कंडिका 1 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों के संबंध में झाबुआ जिला न्यायालय के समस्त रिक्त न्यायालय के स्थाई वारंट व अन्य कार्यवाहिया एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण, अपीलीय न्यायालयों के आदेश, निर्णय, का निष्पादन एवं अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई वारंट एवं उनसे संबंधित समस्त कार्यवाहिया।</p> <p>7. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>8. धारा 52-ए के अंतर्गत अपने थाना क्षेत्र के अतिरिक्त आरक्षी केन्द्र कोतवाली झाबुआ के आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे।</p>
5	श्री बलराम मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	आरक्षी केन्द्र कल्याणपुरा	<p>1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन एवं आवेदन।</p> <p>2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत अभियोग एवं आवेदन पत्र के समस्त प्रकरण।</p> <p>3. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण।</p> <p>4. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र झाबुआ एवं कालीदेवी से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।</p> <p>6. आरक्षी केन्द्र कोतवाली झाबुआ, रानापुर, कल्याणपुरा से उत्पन्न होने वाले पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद।</p> <p>7. आरक्षी केन्द्र झाबुआ एवं कल्याणपुरा के क्षेत्राधिकार के अधीन न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।</p> <p>8. स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52-ए के अंतर्गत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
6	श्री सचिन जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	3(अ) आरक्षी केन्द्र थांदला एवं मेढ	<p>1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से (अनुक्रमांक-7बी के स्तंभ क्र.4 की कंडिका 4 एवं 5 में</p>

	श्रेणी, थांदला जिला झाबुआ	नगर एवं आबकारी वृत्त थांदला एवं मेघ नगर,	<p>उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) उत्पन्न समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन एवं आवेदन।</p> <p>2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत अभियोग एवं आवेदन पत्र के समस्त प्रकरण।</p> <p>3. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण।</p> <p>4. स्तम्भ क्रमांक 3 (अ) में अंकित थाना क्षेत्रों में – न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।</p> <p>5. स्तम्भ क्रमांक 3 (अ) में अंकित थाना क्षेत्रों पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7. अनुक्रमांक-7-बी स्तंभ क्र. 4 की कंडिका 4 एवं 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तहसील न्यायालय थांदला के समस्त रिक्त न्यायालय के स्थाई वारंट व अन्य कार्यवाहिया एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण, अपीलीय न्यायालयों के आदेश, निर्णय, का निष्पादन एवं अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई वारंट एवं उनसे संबंधित समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>8. स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52-ए के अंतर्गत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
6A	श्री सचिन जाधव, न्यायाधिकारी, ग्राम-न्यायालय थांदला	तहसील थांदला के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगर पालिका सीमा को छोड़कर)	<p>6. तहसील थांदला के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों के –</p> <p>1. राजस्व तहसील, थांदला के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 की अनुसूची-1 के भाग-1 एवं भाग-2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत द.प्र.सं. की धारा 125 एवं 127 के आवेदन पत्र तथा उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों से संबंध में थांदला तहसील न्यायालय के समस्त रिक्त न्यायालय के स्थाई वारंट व अन्य कार्यवाहिया एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण, अपीलीय न्यायालयों के आदेश, निर्णय, का निष्पादन एवं अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई वारंट एवं उनसे संबंधित समस्त कार्यवाहिया।</p> <p>4. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये</p>

			अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां।
7	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला जिला झाबुआ	1. आरक्षी केन्द्र काकनवानी	<p>1. आरक्षी केन्द्र काकनवानी के क्षेत्राधिकार से ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर उत्पन्नसमस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन।</p> <p>2. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले नापतौल विभाग खनिज विभाग, श्रम विभाग, वन परिक्षेत्र पेटलावद, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र तथा समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र काकनवानी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र काकनवानी, थांदला एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के परिवाद पत्र एवं उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा- 312, 313, 314, 315, 354, 354 (क) (ख) (ग) (घ), 354 ए, म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366 बी, 375, 376, 376 ए, 376 डी, 493, 498, 498 (क) एवं धारा-509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सतिप्रथा अधिनियम 1957 एवं अन्य समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जा सकते हैं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों के अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं आवेदन।</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र काकनवानी, थांदला एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>6. स्तम्भ क्रमांक 3 (अ) में अंकित थाना काकनवानी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद।</p> <p>7. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र काकनवानी के क्षेत्राधिकार के अधीन न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।</p> <p>8. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध हो।</p> <p>10. अनुक्रमांक-7 ए स्तम्भ क्र. 4 की कंडिका 4 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों के संबंध में तहसील न्यायालय थांदला के समस्त रिक्त न्यायालय के स्थाई वारंट व अन्य कार्यवाहिया एवं</p>

			<p>वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण, अपीलीय न्यायालयों के आदेश, निर्णय, का निष्पादन एवं अन्य जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई वारंट एवं उनसे संबंधित समस्त कार्यवाहिया।</p> <p>11. स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52-ए के अंतर्गत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
8	श्री चिराग अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.)	आरक्षी केन्द्र पेटलावद	<p>1. आरक्षी केन्द्र पेटलावद के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन।</p> <p>2. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले नापतौल विभाग खनिज विभाग, श्रम विभाग, वन परिक्षेत्र पेटलावद, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र तथा समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।</p> <p>3. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र पेटलावद के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण।</p> <p>4. <u>आरक्षी केन्द्र</u> पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>5. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अधीन न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>7. स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52-ए के अंतर्गत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
9	श्रीमती रूचि पटेरिया अरोरा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.)	आरक्षी केन्द्र रायपुरिया	<p>1. आरक्षी केन्द्र रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, विविध प्रकरण, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र रायपुरिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले नापतौल विभाग खनिज विभाग, श्रम विभाग, वन परिक्षेत्र रायपुरिया, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों द्वारा प्रस्तुत समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।</p> <p>3. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्र रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकृति के प्रकरण।</p> <p>4. <u>आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया</u> के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के परिवाद पत्र एवं उक्त आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा- 312, 313, 314, 315, 354, 354 (क) (ख) (ग) (घ), 354 ए, म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए,</p>

		<p>366 बी, 375, 376, 376 ए, 376 डी, 493, 498, 498 (क) एवं धारा-509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सतिप्रथा अधिनियम 1957 एवं अन्य समस्त अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जा सकते हैं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों के अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं आवेदन।</p> <p>5. <u>आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया</u> के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>6. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अधीन न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।</p> <p>7. तहसील पेटलावद के रिक्त न्यायालयों के स्थाई वारण्ट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर आने वाले प्रकरण।</p> <p>8. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9. स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 52-ए के अंतर्गत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
--	--	--

:- नोट :-

1. इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद जिला झाबुआ क्षेत्राधिकारांतर्गत स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र या वृत्त के किसी प्रकरण को उचित एवं आवश्यक प्रतीत होने से सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, कार्य विभाजन/वितरण आदेश में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा और उक्त व्यवस्था से अन्यथा कोई भी प्रतिवेदन/कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जावेगा।
2. पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु उक्त न्यायालयों में लंबित रिमांड पत्रावलियां इस कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को प्रेषित की जावेंगी।
3. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में अन्य कोई आदेश प्रसारित न किये जाने तक संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर निराकृत किये जाने योग्य मामले/प्रकरण अनुसूची क्रमांक-“अ” अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत अभियुक्त की स्वीकारोक्ति पर विधि अनुसार निराकृत किये जावेंगे।
4. संक्षिप्त विचारण का अभिलेख तैयार करने के लिये द.प्र.सं. की धारा 265(2) के उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त संक्षिप्त विचारण की शक्तियां प्राप्त समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भी चलित न्यायालय लगाने जाने बावत् पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर अपने-अपने थाना क्षेत्र में समय-समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे। किंतु न्यायालयीन समय में चलित न्यायालय लगाये जाने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी।

6. यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में प्रभावी रहेगा।
7. एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट पदस्थ होने पर उस स्थान पर आपराधिक प्रकरणों का केन्द्रीय पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संधारित पंजी में किया जावेगा।
8. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान दोपहर 3 से 5 बजे तक उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।
9. सार्वजनिक अवकाश दिवसों में नियत रिमाण्ड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमाण्ड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।
10. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
11. मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माना जावेंगे और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय झाबुआ/थांदला द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जावेंगे।
12. किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण झाबुआ न्यायिक जिले के आपराधिक प्रकरणों को किशोर न्याय बोर्ड, झाबुआ में प्रस्तुत किये जावेगा।
13. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झाबुआ के अवकाश पर रहने एवं स्थानांतरण की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा। बोर्ड के दोनों सदस्यगण की अनुपस्थिति की दशा में श्री विजयपाल सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी झाबुआ द्वारा ही अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य संपादित किया जावेगा।
14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को तथा बाह्यवर्ती स्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
15. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
16. इस आदेश निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
17. धारा 164 द.प्र.सं. के अधीन कथनों एवं संस्वीकृतियों को लेखबद्ध करने के लिये **अनुसूची-01-क, ख व 1-ग** के अनुसार व्यवस्था रहेगी।
18. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार **अनुसूची क्रमांक 02** के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

स्थान— झाबुआ
दिनांक—
संलग्न— अनुसूची-01-क, ख, ग व अनुसूची क. 02

(गौतम सिंह मरकाम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झाबुआ (म.प्र.)

::कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ जिला झाबुआ म.प्र.::

// अनुसूची क्रमांक 01 "क" //

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

1- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.सं. के कथन हेतु निम्न मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केन्द्रों का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

क्रमांक	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	सुश्री साक्षी मसीह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	झाबुआ, महिला थाना झाबुआ, रानापुर, कल्याणपुरा
2	श्रीमती पुनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	कालीदेवी जी.आर.पी मेड नगर, यातायात थाना झाबुआ एवं आबकारी वृत्त अ एवं ब,
3	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	पेटलावद, रायपुरिया
4	श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	थांदला, मेघनगर, काकनवानी

नोट- श्रीमती पुनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ जिन मामलो का स्वयं विचारण करेगी, उनके धारा 164 द.प्र.स. के कथन सुश्री साक्षी मसीह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ द्वारा लिये जायेंगे।

// अनुसूची क्रमांक 01(ख) //

महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दंडिक प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

अ.क्र.	क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी
1	श्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्रीमती पुनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला
2	श्रीमती पुनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला
3	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	श्री पुनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
4	श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्री पुनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ

नोट:- 1. धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर क्रमशः प्रथम प्रभार, द्वितीय प्रभार महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कथन अंकित किये जाएंगे और यदि द्वितीय प्रभारी के अनुपस्थित रहने पर मुख्यालय पर या तहसील में उपस्थित किसी भी महिला न्यायाधीश द्वारा कथन लिये जायेंगे।

2. जिन मामलो का विचारण स्वयं द्वारा किया जाना है, उनके कथन अन्य महिला न्यायाधीश द्वारा लिये जायेंगे।

3. यह आदेश केवल अभियोक्ता/पीढ़िता के कथन के लिये ही है, अन्य साक्षियों के कथन पूर्व प्रभावशील कार्यविभाजन पत्रक अनुसार ही लिये जायेंगे।

// अनुसूची 1 "ग" //

2- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) हेतु आरक्षी केन्द्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री विजयपाल सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	कल्याणपुरा, अ.जा.क.
2	सुश्री साक्षी मसीह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	राणापुर, कालीदेवी
3	श्रीमती पूनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	झाबुआ
4	श्री सचिन जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी थांदला	काकनवानी
5	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी थांदला	मेघनगर, थांदला
6	श्री चिराग अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	रायपुरिया
7	श्रीमती रूचि पटेरिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	पेटलावद

// अनुसूची क्रमांक 02 //

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दांडिक प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

अ.क्र.	क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी
1	गौतमसिंह मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ	श्री विजयपाल सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
2	श्री विजयपाल सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्रीमती पूनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
3	श्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्रीमती पूनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री बलराम मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
4	श्रीमती पूनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री बलराम मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्री विजयपाल सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
5	श्री बलराम मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	श्रीमती पूनमसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ	सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ
6	श्री सचिन जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्री चिराग अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद
6	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्री सचिन जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला	श्री चिराग अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद
7	श्री चिराग अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	श्रीमती रूचि पटेरिया अरोरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	श्री सचिन जाधव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला
8	श्रीमती रूचि पटेरिया अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	श्री चिराग अरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद	सुश्री प्रमिला राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला

नोट :- उपरोक्त उल्लेखित तीनों न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय/तहसील थांदला अथवा पेटलावद पर उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दांडिक कार्य संपादित करेंगे।

(गौतम सिंह मरकाम)

// कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-झाबुआ, म0प्र0 //

पृष्ठांकन क.

/2024

झाबुआ, दिनांक-

प्रतिलिपि : (ईमेल-मेसेज द्वारा)

01. निज सचिव, माननीय पोर्ट फोलियो जज साहब झाबुआ की ओर माननीय न्यायाधिपति के समक्ष रखे जाने हेतु।
- 02- माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार महोदय, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0 की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
- 03- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला-झाबुआ की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
- 04- माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय कुटुम्ब न्यायालय, जिला-झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 06- माननीय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07- माननीय द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 08- माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 09- माननीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- श्री-----न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 11- जिला दंडाधिकारी झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 12- पुलिस अधीक्षक जिला-झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 13- अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन दंडाधिकारी झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 14- जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 15- सहायक लोक जिला अभियोजन अधिकारी थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 16- अध्यक्ष अभिभाषक संघ झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(गौतम सिंह मरकाम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-झाबुआ, (म.प्र.)